तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 2005 / 4928 / टोंक** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–

श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी

अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

दिनांक : 23 अगस्त, 2022

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–8–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता संख्या–1 व 2 ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की। विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या–1 से क्रय का विवादग्रस्त आराजी पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या–219 भर ग्राम पंचायत चैनपुरा के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर नामान्तरकरण भरा एक ग्राम पंचायत चैनपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक दबाव एवं गुठबाजी के अधार पर नामान्तरकरण संख्या–219 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात का क्रय किया गया एवं पंजीबद्ध दस्तावेज का नामान्तरकरण लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं पंजीयन एक्ट के अनुसर किया जाना आवश्यक है। परन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राम पंचायत के नामान्तरकरण को आधार मानकर ग्राम पंचायत चैनपुरा के आदेश को बहाल रखा गया। इसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर समक्ष द्वितीय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2005 / 4928 / टोंक</u>** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्रस्तुत की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी संख्या-1 आवश्यक पक्षकार का एक द्वितीय अपील न्यायालय में प्रार्थी संख्या-1 को बिना पक्षकार बनाये अपना आदेश विधि एवं दस्तावेज के विरूद्ध पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3- निगरानी के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 सपठित धारा-151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था परन्तु विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय ने प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया और ना ही प्रार्थी संख्या-1 को नोटिस दिया एवं प्रार्थी संख्या-1 के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी संख्या-1 जानकारी से भी यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। इसलिये प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। 4- प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी संख्या-2 अपने वकील साहब को कागजात देकर अपने गांव चले गये थे। उसे वकील साहब ने आश्वस्त कर दिया था कि आपको आगामी तारीख पेशी पर हाजिर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय की जानकारी आपको दे दी जायेगी। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे कानून की पेचीदगियों की जानकारी नहीं है। काफी समय के पश्चात जब केस का ध्यान आया, तब नकल लेकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी पक्षकार नहीं था इसलिये निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है, जिसे क्षमा किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा प्रदान कर न्यायहित में उचित आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। 5- अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। जो कि अप्रार्थी संख्या-1 ग्राम पंचायत चेनपुरा को नोटिस तामील करवा दिये गये, किन्तु अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस तामील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 2005 / 4928 / टोंक** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं हुये। तब अप्रार्थी संख्या-2 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भेजे गये जो कि अदम तामील में वापिस लौटकर आ गये। इसके पश्चात अखबार साया के माध्यम से दोनों अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु दोनों अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इसलिये एकपक्षीय बहस निगरानीकर्ता की सुनी गयी। 6- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विधि एवं साक्ष्य के विपरीत होने पर काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को नजर अंदाज कर अपना आदेश पारित कर दिया जो विधि एवं न्याय की दृष्टि से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एफआईआर को आधार मानकर आदेश पारित किया है जबकि एफआईआर में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा प्रार्थी संख्या-1 जो कि आवश्यक पक्षकार था उसे बिना पक्षकार बनाये जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहा एवं इससे प्रार्थी संख्या-1 विवादग्रस्त आराजी पर अधिकार प्रभावित होते हैं। इस तथ्य को नजरअंदाज कर विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध आदेश पारित किया वह काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त फरमाया जावे एवं पटवारी हल्का द्वारा भर कर प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या-219 को बहाल करने का आदेश न्यायहित में पारित करें। 7- निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 एवं धारा-151 सीपीसी पर बहस करते हुये कथन किया कि प्रार्थी संख्या-1 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं माना था इसलिये उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि प्रार्थी आवश्यक पक्षकार था। इसलिये प्रार्थना पत्र धारा-96 सपठित धारा-151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2005 / 4928 / टोंक</u>** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8- निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को उनके वकील साहब ने नहीं दी इसलिये उन्हें जानकारी नहीं हो पायी। जब जानकारी हुई तब नकलें निकलवाई गई और तुरन्त ही अपील पेश कर दी गयी। इसलिये निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी में समुचित आदेश प्रदान करवाने का श्रम करें। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1976 आरआरडी पेज-10 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। 9- हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया। 10- पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 सपठित धारा-151 सीपीसी का निर्णय करना हम उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28-8-2003 जो कि अपील संख्या-58/2000 में विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने प्रदान किया था, में किशनसिंह ना तो प्रार्थी के तौर पर और ना ही अप्रार्थी के तौर पर पक्षकार था। यदि किशनसिंह उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के निर्णय दिनांक 19-6-2000 से व्यथित था तो उसे अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में प्रस्तुत करनी चाहिये थी। लेकिन उसने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में अपील प्रस्तुत नहीं की थी। इसलिये वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता किशनसिंह को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 सीपीसी निरस्त किया जाता है। 11- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 2005 / 4928 / टोंक** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी किशनसिंह पुत्र फतहसिंह एवं रामस्वरूप पुत्र बजरंगलाल दोनों ने प्रस्तुत की है जो कि दिनांक 3-10-2005 को न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत हुई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28-8-2003 को पारित किया जा चुका था। इस प्रकार यह अपील लगभग दो वर्ष से अधिक अवधि के विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत हुई थी। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में प्रार्थी के अभिभाषक निर्णय के समय दिनांक 28-8-2003 को न्यायालय में उपस्थित थे इसलिये प्रार्थी का यह कथन कि निर्णय की उन्हें जानकारी नहीं थी, नितान्त असत्य एवं तथ्यों से परे है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि निगरानी प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के लिये एक एक दिन का समुचित कारण प्रदर्शित करना होता है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने दो वर्ष के विलम्ब का कोई समुचित एवं तार्किक कारण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये यह निगरानी मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है और निगरानी में बिना गुणावगुण पर निर्णय करते हुये यह निगरानी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। 12- उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार प्रार्थना पत्र के द्वारा धारा-96 सीपीसी एवं धारा-5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाते हैं। इस प्रकार यह निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 2005 / 4928 / टोंक** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए